

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री नीरज मिश्र, आर.ए.एस

क्रमांक सीडर/2018/651  
प्रार्थीगण

बनाम

दिनांक - 22/03/18  
विप्रार्थीगण

1 खुदा बक्स 2 कैसा 3  
सतार पिसरान हमीरा जाति  
तेली निवासी रावतसर दक्षिण  
तहसील व जिला बाड़मेर।

1 हुसैन पुत्र नगा जाति तेली निवासी रावतसर  
दक्षिण तहसील व जिला बाड़मेर 2 बाकाराम पुत्र  
चेतनराम जाति सुथार निवासी डूडियों की ढाणी  
बेरीवाला तला तहसील व जिला बाड़मेर 3  
तहसीलदार बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान गू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत  
राजस्व आवेदन संख्या :- 24/2018

दिनांक- 21/03/18

## आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा डूडियों की ढाणी पटवार क्षेत्र बेरीवाला तला तहसील व  
जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 1648/1459 रकबा 06.03 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के  
नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त  
किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण को  
नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर  
सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक  
07.09.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर  
शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो

प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।



(नीरज मिश्र)  
उपखण्ड अधिकारी,  
बाड़मेर

दिनांक- 22/03/18

क्रमांक :- सीडर/2018/652-53

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी बेरीवाला तला तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. खुदा बक्स पुत्र हमीरा वगैराह जाति तेली निवासी रावतसर दक्षिण तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी हुसैन पुत्र नगा वगैराह जाति तेली निवासी रावतसर दक्षिण तहसील व जिला बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी,  
बाड़मेर